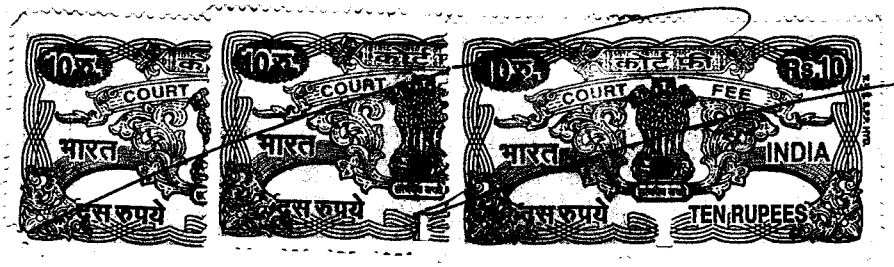

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप, भोपाल,

पुर्नविलोकन प्रकरण कं.   /   -16

रामेश्वर राजपूत आ. श्री राजाराम

आयु लगभग 55 वर्ष निवासी- ग्राम बरखेड़ा हसन,

तह. व जिला सीहोर, म.प्र.   ....   आवेदक

विरूद्ध

1. अशोक कुमार आ. श्री इमरतलाल
   आयु वयस्क निवासी- ग्राम पिपलीया बाज खाँ,
   तह. हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र.
2. मो. वसीम आ. अब्दुल कादिर आयु वयस्क
3. शहबाज खान आत्मज मो. वसीम आयु वयस्क
   कं. 2 से 3 निवासीगण- मकान नं. 21, गली मोचियान, जुमैराती, भोपाल, म.प्र............   अनावेदकगण

अभिभाषक श्री........ द्वारा आज दिनांक 16/9/16 को पेश।
अधीक्षक

पुर्नविलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता

महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुर्नविलोकन आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के निगरानी प्रकरण कं. 73पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 11/05/2016 जिसमें पक्षकार मो. वसीम व अन्य विरूद्ध अशोक कुमार रहे से असंतुष्ट एवं दुखी समयावधि विधान की धारा 5 सहपठित धारा 47 2, म.प्र. भू. राजस्व संहिता के आवेदन पत्र में उल्लेखित बिंदुओं को समयोजित कर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही हैः-

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैंः-

1. यह कि पिपलीया बाज खाँ, तह. हुजूर, जिला भोपाल में स्थित भूमि पुराने खसरा कं. 92, 135, 136, 141 172 196 197 198 222/53 कुल 9किता कुल रकबा

रिव्यू 3315-II/16 भोपाल

28.3.2017

आवेदक की ओर से श्री प्रेम सिंह अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.5.2016 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आवेदक मूल निगरानी प्रकरण मे पक्षकार नहीं है। अतः इसे पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत केवल व्यथित पक्षकार ही पुनर्विलोकन प्रस्तुत कर सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने से अग्राह्य किया जाता है।

अध्यक्ष

28/03/17

आ.मु.—355—फॉर्म—3-2-16—30,000 प्रपत्र.